कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 906 दिनांकः– 16.9.16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोडरमा जिला के मौजा परतांगो के खाता नं0– 20 प्लॉट नं0– 02 रकबा 25.11 एकड़ (10.16 हे0) क्षेत्र में पत्थर खनन् पट्टा की स्वीकृति हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग :– **वन विभागीय पत्रांक– 4001 दिनांक– 23.08.2016.**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा मांगी गई वांछित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1056 दिनांक 07.09.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है, जिसे इस पत्र के साथ नक्शा एवं सभी अनुलग्नकों सहित भेजा जा रहा है। अधोहस्ताक्षरी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत है। संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची का अनुमोदन प्राप्त कर ली गई है।

अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (FC Division) द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/9/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

16.9.16

Partango Stone mines 10.16 ha 14.09.16

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची ।

Email : pccfwljharkhand@gmail.com

पत्र संख्या :– 1056 राँची, दिनांक 07/09/16

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

विषय : **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोडरमा जिला के मौजा–परतांगों के खाता नं0–20, प्लॉट नं0–02 रकबा (25.11 एकड़) 10.16 हे0 क्षेत्र में पत्थर खनन् पट्टा की स्वीकृति हेतु सर्वश्री रामचन्द्र मेहता, मनोज कुमार मेहता, अमिताभ कुमार के पक्ष में वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग : आपका ज्ञापांक–842 दिनांक–26.08.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित संदर्भ में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (FC Division)के पत्रांक F.No.8-64/2013-FC दिनांक 20.08.2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्गत दिशा निदेश का अवलोकन किया जाय जो स्वतः स्पष्ट है।

ज्ञातव्य है कि विषयगत मामले में आपके पत्रांक 717 दिनांक 15.07.2016 के आलोक में अपेक्षित निदेश अधोहस्ताक्षरी के स्तर से इस कार्यालय के पत्रांक 970 दिनांक 17.08.2016 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग को दे दी गयी है। इस पत्र की प्रतिलिपि भी आपको प्रेषित है। मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के स्तर से दिये गये निदेश का अनुपालन लंबित है। वांछित अनुपालन प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के आलोक में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् प्राप्त प्रस्ताव भारत सरकार के विचारार्थ भेजने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वास

07/09/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक
झारखण्ड, राँची।

अनु0–यथोक्त।

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची ।

Email : pccfwljharkhand@gmail.com

पत्र संख्या :–

राँची, दिनांक

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग।

विषय – **वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोडरमा जिला के मौजा परतांगो के खाता नं0 02 रकबा 25.11 एकड़ (10.16 हे0) क्षेत्र में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग – **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 717 दिनांक 15.07.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल के प्रतिवेदनानुसार कोडरमा वन्य प्राणी अश्रयणी से प्रस्तावित खनन पट्टा की दूरी 5.44 कि0मी0 है, चूंकि वर्तमान में कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी के Eco-sensitive zone की अधिसूचना निर्गत नहीं हुई है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार Eco-sensitive zone का दायरा आश्रयणी सीमा से बाहर 10 (दस) कि0मी0 तक माना जायेगा।

उपरोक्त के अनुसार प्रस्तावित खनन स्थल वर्तमान में कोडरमा वन्य प्राणी अश्रयणी के Eco-sensitive zone में अवस्थित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, (Wildlife Division) के पत्रांक 6–10/2011/WL, दिनांक 15.03.2011 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में राष्ट्रीय वन्यजीव पर्षद (NBWL) की स्थायी समिति (Standing Committee) के अनुमति अनिवार्य है।

निदेशित किया जाता है प्रस्तावित खनन् पट्टा के लिए प्रयोक्ता अभिकरण को NBWL की अनुमति हेतु प्रस्ताव उचित माध्यम से समर्पित करने हेतु आवश्यक अग्रतर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी
ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, राँची ।

अनु0–यथोक्त।

F. No. 8-64/2013-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(FC Division)
***

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jorbagh Road,
New Delhi - 110003
Date: 20th August, 2014

To

The Principal Secretary (Forests),
All State/UT Governments.

Sub: Guidelines regarding de-linking of grant of forest clearance from the clearance from the Standing Committee of the National Board for Wildlife (NBWL).

Sir,

I am directed to inform that, The Ministry has come across several instances where grant of forest clearance under the Forest (Conservation) Act, 1980 is pending for want of clearance from the Standing Committee of the NBWL for the projects falling within Eco-sensitive zones of the protected areas or within 10 km distance from PA's(where Eco-Sensitive zones are not notified). Many a time, cases of forest clearance got unduly delayed for long time resulting into unwarranted pendency of forest clearance cases. Further, clearance from the Standing Committee of the NBWL is granted under the provisions of Wildlife (Protection) Act, 1972 which is altogether different from the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980. Taking cognizance of this fact, the matter was examined in this Ministry, and it is decided that approval being granted under the Forest (Conservation) Act, 1980 will not be linked to the grant of clearance from the Standing Committee of the NBWL except in cases where land proposed for diversion falls within protected areas for which prior approval of the Hon'ble supreme court is required.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

(M. Rajkumar)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forest, All State/UT Governments.
2. The Addl. PCCF (Central), All Regional Offices of the MoEF&CC.
3. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF, All State/UT Governments.
4. Director (BKS)/Director (ROHQ)/AIGF (FC).
5. Sr. PPS to DGF&SS, PS to Addl. DGF PS to IGF(FC)
6. Monitoring cell, FC Division, MoEF&CC, New Delhi.
7. Guard File.

(M. Rajkumar)
Assistant Inspector General of Forests